पत्रांक ____________/रा0
दिनांक __________/2018

समाहरणालय, बक्सर
(राजस्व शाखा)

फोन नं0– (06183)222335(R),222336(O)
पैक्स नं0– (06183)222231(R),226935(O)
ई–मेल – dm-buxar.bih@nic.in

बिहार सरकार

आदेश

सरकार के प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना के निदेश के आलोक में बाढ़ग्रस्त (आपदा प्रबंधन) बक्सर जिला के बाढ़ राहत कार्यो की समीक्षा / अनुश्रवण हेतु जिला बाढ़ नियंत्रण कक्ष जिला सांख्यिकी कार्यालय, बक्सर में स्थापित किया गया है। इस नियंत्रण कक्ष का दूरभाष संख्या 06183–223333 है। जिसके वरीय प्रभारी पदाधिकारी, श्री अरविन्द कुमार, उप विकास आयुक्त, बक्सर, प्रभारी पदाधिकारी श्री संजीव कुमार, वरीय प्रभारी पदाधिकारी, आपदा शाखा, बक्सर है। इस कार्यालय के पत्रांक– 03–1408/रा0 दिनांक 18.05.2018 द्वारा नियंत्रण कक्ष दिनांक 15.06.2018 से दिनांक 31.10.2018 तक लगातार 24 घंटे कार्यरत है। साथ ही नियंत्रण कक्ष में प्रतिनियुक्त पदाधिकारी एवं कर्मी उपस्थित है अथवा नहीं, नियंत्रण कक्ष सतत रूप से कार्य कर रहे हैं अथवा नही उसकी प्रत्येक क्षण का निगरानी एवं अनुश्रवण हेतु प्रधान सहायक, आपदा शाखा, बक्सर एवं श्री बबन प्रसाद लिपिक को प्राधिकृत किया गया है। बाढ़ नियंत्रण कक्ष को पूर्ण प्रभावी एवं सशक्त बनाने हेतु पूर्व से नियुक्त पदाधिकारी एवं कर्मी के अतिरिक्त निम्न कर्मी को तत्काल प्रभाव से अपने कार्यो के अतिरिक्त बाढ़ नियंत्रण कक्ष में प्रतिनियुक्त किया जाता है :–

समय	क्र0	प्रतिनियुक्त कर्मी का नाम	पदनाम	कार्यालय का नाम
6:00 AM से 2:00 P.M (प्रथम पाली)	1	श्री विरेन्द्र प्रताप सिंह,	उच्च वर्गीय लिपिक	कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल, बक्सर
	2	श्री प्रकाश इन्द्र कुमार सिन्हा	कार्यालय परिचारी	कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल, बक्सर
2:00 PM से 10:00 P.M (द्वितीय पाली)	1	श्री समीर कुमार पाण्डेय	उच्च वर्गीय लिपिक	कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल, बक्सर
	2	श्री राजीव कुमार सिंह	कार्यालय परिचारी	कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल, बक्सर
10:00 PM से 06:00 A.M (तृतीय पाली)	1	श्री प्रभाकर चौबे	निम्न वर्गीय लिपिक	कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल, बक्सर

उपरोक्त उच्च वर्गीय लिपिक / कार्यालय परिचारी को आदेश दिया जाता है कि अपने कार्यो के अतिरिक्त पत्र प्राप्ति के 24 घंटे के अन्दर बाढ़ नियंत्रण कक्ष में योगदान देना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही बाढ़ के संबंध में प्राप्त सूचनाओं को **खैरियत पंजी** में दर्ज करेंगे तथा संबंधित पदाधिकारी को आवश्यक कार्रवाई हेतु सूचित करते हुए प्रतिक्षण वरीय पदाधिकारी को भी सूचित करेंगे।

1. **सभी कनिय अभियंता, बाढ़ प्रमण्डल एवं सहायक अभियंता, बाढ़ प्रमण्डल का लोकेशन प्रति दिन सुबह एवं शाम में प्राप्त करना।**
2. **सभी कनिय अभियंता बाढ़ प्रमण्डल एवं सभी सहायक अभियंता, बाढ़ प्रमण्डल का निजी एवं सरकारी मोबाईल नम्बर प्राप्त करना।**
3. **प्रति दिन सभी कनिय अभियंता, बाढ़ प्रमण्डल अपने संबंधित अंचल अधिकारी को सुबह एवं शाम के 07:00 बजे व्यक्तिगत रूप से मिलकर रिर्पोट करेंगे। इस हेतु सभी अंचल अधिकारी से सुबह एवं शाम में प्रतिवेदन प्राप्त करेंगे।**
4. **सभी सहायक अभियंता, बाढ़ प्रमण्डल अपने संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी को सुबह एवं शाम में रिर्पोट करेंगे। इस हेतु अनुमंडल पदाधिकारी, बक्सर एवं डुमरॉव से प्रतिवेदन प्राप्त करेंगे।**
5. **बाढ़ कन्ट्रोल रूम में प्रतिनियुक्त कर्मी एक खैरियत पंजी का संधारण करेंगे, जिसमें अन्य सभी सूचना के साथ पानी के स्तर का प्रति दिन सुबह, दोपहर एवं शाम में प्राप्त कर दर्ज करेंगे।**

अनुमंडल पदाधिकारी, बक्सर एवं डुमरॉव को निदेश दिया जाता है कि अपने स्तर से सत्यापन करके प्रतिवेदन देंगे कि प्रत्येक किलोमीटर पर गृहरक्षक उपस्थित है अथवा नही ? साथ ही गृहरक्षक जिस थाने के लोकेशन में है उस थाने में जाकर अपना उपस्थिति बनायेंगे एवं संबंधित थानाध्यक्ष गृहरक्षकों के कल्स्टर लीडर का मोबाईल नम्बर रखेंगे एवं अपने स्तर से सभी प्रकार का निगरानी करते हुए बाढ़ नियंत्रण कक्ष को प्रत्येक दिन प्रतिवेदन समर्पित करेंगे।

जिला पदाधिकारी,
बक्सर

ज्ञापांक 03-1926 / रा0 दिनांक 29/06/2018 ।

प्रतिलिपि : सभी संबंधित पदाधिकारी / कर्मचारी को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, बक्सर को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल, बक्सर को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित करते हुए आदेश दिया जाता है कि अपने स्तर से सभी संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मी को सूचित करेंगे।

प्रतिलिपि : कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई विभाग, बक्सर को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, नावानगर को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी / सभी अंचल अधिकारी बक्सर जिला को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला पशुपालन पदाधिकारी, बक्सर को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमण्डल पदाधिकारी, बक्सर एवं डुमरॉव को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अपर समाहर्त्ता, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अपर सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

जिला पदाधिकारी,
बक्सर